



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले व ह)-II,
महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001

OFFICE OF
THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A&E)-II, MAHARASHTRA,
CIVIL LINES, NAGPUR-440001

Ph.0712-2565161-67/ Fax: 0712-2560484

Email: agaemaharashtra2@cag.gov.in

Web: https://cag.gov.in/ae/nagpur/en



No.WM-I/E-IV/AGT-2026/F-585

Date: 30/07/2026

OFFICE ORDER- 424

मई-2026 में आयोजित विभागीय लेखापाल ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप, नागपुर क्षेत्र के निम्नलिखित परीवीक्षाधीन विभागीय लेखापालों को लोकहित में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित प्रभागों में स्तंभ संख्या 3 में दर्शाए गए अधिकारियों के पर्यवेक्षण में तत्काल प्रभाव से विभागीय लेखापाल के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

Consequent on passing the Divisional Accountants Grade Examination, May-2026, the following Divisional Accountants (Probationers) of Nagpur Region are hereby posted, in public interest, as Divisional Accountants to the Divisions mentioned against their names under the supervision of the officers indicated in Column No. 3, with immediate effect.

पर्यवेक्षण प्रभार धारण करने वाले अधिकारियों तथा परीवीक्षाधीन विभागीय लेखापालों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

The following instructions are hereby issued for the officers holding supervisory charge and the Divisional Accountants (Probationers):

1. प्रभाग के लेखों की तैयारी की संपूर्ण जिम्मेदारी पर्यवेक्षण प्रभार धारण करने वाले अधिकारी की होगी, न कि परीवीक्षाधीन विभागीय लेखापाल की। यदि कोई त्रुटि अथवा चूक पाई जाती है, तो उसके लिए पर्यवेक्षण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

The official holding supervisory charge, and not the DA (P), shall be responsible for preparation of the accounts of the Division. The Supervising Officer shall be held responsible for any lapse noticed.

2. परीवीक्षाधीन विभागीय लेखापाल को परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने तथा सेवा में पुष्टि होने तक किसी भी आधिकारिक अभिलेख/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

The DA (P) shall not be authorized to sign any official documents until completion of the probation period and confirmation in service.

3. परिवीक्षाधीन विभागीय लेखापाल सेवा में पुष्टि होने तक प्रत्येक माह अपनी कार्य प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा। उक्त रिपोर्ट का परीक्षण एवं हस्ताक्षर पर्यवेक्षण अधिकारी तथा संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा किया जाएगा। पर्यवेक्षण अधिकारी प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक उक्त मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर के कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

The DA (P) shall prepare a monthly progress report till confirmation in service. The progress report shall be examined and signed by the Supervising Officer and the Executive Engineer of the Division. The Supervising Officer shall forward the monthly progress report to the Office of the Pr. Accountant General (A&E)-II, Maharashtra, Nagpur by the 10th of each succeeding month.

4. पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभाग में उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आधिकारिक प्रकरण/दस्तावेज पहले वहाँ पदस्थापित परिवीक्षाधीन विभागीय लेखापाल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएँ, ताकि वह कार्यप्रणाली को समझ सके तथा आवश्यक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

The Supervising Officers shall ensure that all official documents submitted to them in the Divisions are routed through the Divisional Accountant (Probationer) posted therein so that the latter may understand and learn the procedures involved.

5. पर्यवेक्षण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परिवीक्षाधीन विभागीय लेखापाल को प्रभाग में प्रचलित कार्यों के संदर्भ में विभागीय लेखापाल के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

The Supervising Officers shall ensure that the Divisional Accountants (Probationers) are suitably trained regarding the duties and responsibilities of Divisional Accountants with respect to the ongoing work in the Divisions.

6. पर्यवेक्षण अधिकारी तथा संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट में की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ संबंधित परिवीक्षाधीन विभागीय लेखापाल की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने तथा सेवा में पुष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

Adverse remarks recorded by the Supervising Officer and/or the Executive Engineer of the Division in the monthly progress report may adversely affect completion of the probation period and confirmation in service of the concerned DA (P).

7. मुख्यालय कार्यालय द्वारा दिनांक 16.08.2024 को जारी विभागीय लेखापालों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 7 के अनुसार, परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने तथा सेवा में पुष्टि के उपरांत परिवीक्षाधीन विभागीय लेखापालों को स्वतंत्र प्रभार प्रदान किया जाएगा।

The DA (Ps) shall be entrusted with independent charge after completion of the probation period and confirmation in service in terms of Para 7 of the Headquarters guidelines regarding Transfer and Posting of Divisional Accountants dated 16.08.2024.

क्रम सं. /Sr. No	नाम (श्री)/Name (Shri)	पदस्थापन का प्रभाग /Division of Posting	पर्यवेक्षण अधिकारी/ Supervising Officer
1	KAMAL GUPTA	MECHANICAL DIVISION, AMRAVATI	SHRI S.J. RAUT, SR. DAO
2	SURAJ KUSHWAHA	ARUNAVATI IRRIGATION DIVISION, DIGRAS, YAVATMAL	SHRI S.B. HIWARE, DAO-I

तदनुसार, उन्हें इस कार्यालय से दिनांक 31/07/2026 की अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने प्रभागों में तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि इस कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात ई-मेल द्वारा सूचित की जाए।

Accordingly, they stand relieved from this office with effect from the afternoon of 31/07/2026 with directions to report to their respective Divisions immediately. The date of joining the Division shall be intimated to this office through e-mail immediately after assumption of charge.

स्थानान्तरित अधिकारियों को नियमों के अधीन देय यात्रा भत्ता, उनके द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार, अनुमन्य किया जाएगा।

The travelling allowance, as admissible under the rules, may be granted to the transferees as claimed by them.

पर्यवेक्षण प्रभार धारण करने वाले अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पर्यवेक्षण प्रभार ग्रहण करें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से दें।

The Supervising Officers are also directed to assume the supervisory charge immediately and intimate this office through e-mail.

(प्राधिकरण: प्रधान महालेखाकार के दिनांक 30/07/2026 के आदेशानुसार)

(Authority: The Principal Accountant General's order dated 30/07/2026)



वरिष्ठ उप महालेखाकार (निर्माण लेखा)